UPSB010051812023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.), 14वां वित्त आयोग/ विशेष न्यायाधीश, (गैंगस्टर एक्ट), सोनभद्र।

पीठासीन अधिकारी– **हरिकेश कुमार,** (उच्चतर न्यायिक सेवा), UP1822

विशेष सत्र परीक्षण सं.–841/2023, (मुकदमा अपराध संख्या–76/2023)

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन।

बनाम

पप्पू पटेल पुत्र लक्षनधारी उर्फ लच्क्षनधारी पटेल, निवासी काली मंदिर निरंकारी भवन के पास शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र

....अभियुक्त।

(सरकार बनाम पप्पू पटेल आदि)
मुकदमा अपराध संख्या–76/2023
धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना–पिपरी, जनपद–सोनभद्र।

19.06.2026

–निर्णय–

1. अभियुक्त पप्पू पटेल पुत्र लक्षनधारी उर्फ लच्क्षनधारी पटेल की ओर से जरिये जेल अधीक्षक/ डी.एल.एस.ए जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र का.सं.–10ख इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थी एक निर्धन व्यक्ति है। वह कथित अपराध में दिनांक 03.02.2026 से जिला कारागार सोनभद्र में निरूद्ध है। प्रार्थी बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर रहा है। प्रार्थी भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगा। अतः अभियुक्त को कम से कम दण्ड देकर कारागार से मुक्त करने की याचना की गयी है।

2. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली में अभियुक्तगण 1. पप्पू पटेल पुत्र लक्षनधारी उर्फ लच्छनधारी पटेल व 2. दीपक उर्फ मिठ्ठू डोम के विरूद्ध अनुमोदित गैंग चार्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट योजित हुआ। विवेचना पश्चात् आरोप पत्र सं.–104/2023 अभियुक्तगण पप्पू पटेल व दीपक उर्फ मिठ्ठू डोम के विरूद्ध अंतर्गत धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 प्रस्तुत किया किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.2023 को प्रसंज्ञान लिया गया तथा दिनांक 30.03.2026 को अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया। इस स्तर पर अभियुक्त पप्पू पटेल द्वारा स्वेच्छ्या जुर्म स्वीकृति प्रार्थना पत्र दिनांकित 08.06.2026 जरिये जेल अधीक्षक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र को प्रेषित किया गया, जिस पर सचिव जिला सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही हेतु जरिये एल.ए.डी.सी प्रस्तुत किया गया है।

Digitally signed by HARIKESH KUMAR
Date: 2026.06.19 13:08:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sonbhadra

अभियुक्त पप्पू पटेल न्यायालय के समक्ष जेल से उपस्थित है। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र जुर्म स्वीकृति के संबंध में पूछताछ किया गया। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकार प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया एवं जुर्म स्वीकार करने का कथन किया गया। जुर्म स्वीकृति अलग प्रपत्र पर अंकित की गयी। अभियुक्त पप्पू पटेल द्वारा आरोप अंतर्गत धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 को इस स्तर पर स्वेच्छया स्वीकार कर रहा है तथा उसके द्वारा निवेदन किया गया कि वह गरीब व्यक्ति है और उसका कोई पैरोकार नहीं है। प्रार्थी भविष्य में कोई अपराध कारित नहीं करेगा। अतः उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उसे अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किया गया है, और कहा गया कि वह परिवार में अकेला है, उसका कोई पैरोकार नहीं है तथा काफी दिनों से जेल में निरूद्ध है। उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों, अभियुक्त के कारागार में निरूद्धता अवधि तथा अभियुक्त की पारिवारिक आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यदि अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास एवं 5,000/–रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाए तो न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी। अतः अभियुक्त के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त पप्पू पटेल को दोषी पाते हुए, उक्त अपराध में उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किये जाने योग्य है।

–आदेश–

5. अभियुक्त **पप्पू पटेल पुत्र लक्षनधारी उर्फ लच्छनधारी** को **विशेष सत्र परीक्षण सं.–841/2023, मु.अ.सं.–76/2023**, धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना पिपरी, जिला सोनभद्र के मामले के आरोप में **02 वर्ष** (दो वर्ष) के कारावास एवं रू० 5,000/– (पॉच हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। **अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित होगी।** अभियुक्त का सजायाबी वारण्ट आवश्यक अनुपालन हेतु जेल अधीक्षक, जिला कारागार, सोनभद्र को नियमानुसार प्रेषित हो। सजायाबी वारण्ट की एक प्रति सुलभ संदर्भ हेतु पत्रावली पर रखी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(हरिकेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.), 14वॉ वित्त आयोग/विशेष न्यायाधीश, (गैंगस्टर एक्ट), सोनभद्र
जे.ओ. कोड–यू.पी. 1822

दिनांक 19.06.2026